कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गॉधी नरेगा) एवं जिला कलक्टर भरतपुर

क्रमांकः— महात्मा गॉधी नरेगा/सामा.अंके./2017—18/ 1151 दिनांक 10/05/17

विज्ञप्ति

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 की धारा 17 एवं महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीमो की लेखा परीक्षा के नियम 2011 के प्रावधानो के अनुसार जिले की 10 पंचायत समितियों की 374 ग्राम पंचायतों में महात्मा गॉधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत पिछले छह माह में हुये कार्यो के सामाजिक अंकेक्षण कार्य एवं ग्राम सभाओं में रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण हेतु पूर्णतः जॉब कार्य आधार पर ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (बीआरपी) एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति(जीआरपी) के चयन/पैनल तैयार करने के लिये निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

पद का विवरण	संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	आयु	प्रति कार्य दिवस निर्धारित मानदेय	आवेदन जहॉं करना है	आवेदन की अंतिम तिथि
ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (बीआरपी)	98	स्नातक या समकक्ष अनुभव एवं सदस्यता— प्राथमिक पणधारियों और सिविल सोसाइटी संगठनों (जैसे— भूतपूर्व सैनिक कल्याण सोसाइटी,पेंशनर्स वैलफेयर सोसाइटी एवं अन्य संगठन) से जुडे ऐसे व्यक्ति जो जनता के अधिकारों के लिये कार्य करने का ज्ञान एवं अनुभव रखते हों। राजीविका के महिला स्वय सहायता समूह की पात्र सदस्य(इनको चयन में प्राथमिकता दी जायेगी) सेवानिवृत केन्द्र,राज्य एवं बैंक कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों के सदस्यों के लिये पॉच बर्ष का अनुभव हो।	21 से 65 बर्ष	325/— रूपये	पंचायत समिति कार्यालय	18.5.17
ग्राम संसाधन व्यक्ति (जीआरपी)	945	माध्यमिक (बारहवीं पास एवं स्नातक को वरीयता) अनुभव एवं सदस्यता— प्राथमिक पणधारियों और सिविल सोसाइटी(जैसे— भूतपूर्व सैनिक कल्याण सोसाइटी,पेंशनर्स वैलफेयर सोसाइटी एवं अन्य संगठना जैसे— राजीविका के महिला स्वय सहायता समूह से जुडे ऐसे व्यक्ति जो जनता के अधिकारों के लिये कार्य करने का ज्ञान एवं अनुभव रखते हों।	21 से 65 बर्ष	225/— रूपये	ग्राम पंचायत कार्यालय	18.5.17

नोटः— आवेदन पत्र का प्रारूप एवं सेवा सम्बन्धी विस्तृत विवरण जिला कार्यालय, दस पंचायत समिति कार्यालय एवं जिले की बेवसाईट bharatpur.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं जिला कलक्टर भरतपुर

क्रमांकः— महात्मा गॉधी नरेगा/सामा.अंके./2017—18/ 1152-53 दिनांक 10/05/17

प्रतिलिपिः— निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सम्पादक राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम साईज मं स्थानीय संस्करण मे प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करें।
2. उपनिदेशक सूचना एवं प्रौधोगिकी विभाग भरतपुर को भेजकर निर्देश है कि उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन के प्रारूप को जिले की बेवसाईट पर अपलोड करावें।

(अंशदीप)
अति0जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद (ग्राविप्र), भरतपुर